

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आदेश संख्या (07/अनापत्ति/नि.सं./16/178

दिनांक- 11-3-16

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकेत/विषयों सहित सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है -

संबंधित संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
इंग्लिश एज्युकेशन सोसायटी, गोविन्दगढ़, जयपुर।	आईडियल महाविद्यालय, आई नं. B, गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- बी.ए.- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोकशासन, इतिहास, भूगोल, संस्कृत। बी.एससी - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि शास्त्र, वनस्पति विज्ञान।

- संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीएससी0आई0 से मन्व्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सौदों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सौना में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति परचात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि कृपास्वरुप अर्पण कराया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार किया जायेगा।
- संस्था द्वारा पूर्णतः योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अधीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निर्देशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा वाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं वित्तराशिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एनओएसओएस/एनओसीसी/रोवरिंग एवं रेजिगिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहनीक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एनओएसओएस, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
- राज्य सरकार को महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2016-17 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय द्वारा Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं पत्रों को उपलब्ध हो सकेगी।


उपरोक्त शर्तों को पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

  
आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशेष सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शिक्षा कलेक्टर, जयपुर।
4. जून सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
6. सचिव, आचार्य अनुमोदन, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर।

  
आयुक्त-विश्व (विश्व)